नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट

पो०– नेतरहाट, जिला – लातेहार

(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के अधीन एक स्वयत्तषासी निकाय)

संख्या – 239 दिनांक –03.02.2017

अति लघु निविदा सूचना

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के लगभग 500 विद्यार्थियों के उपयोग हेतु कलाई घड़ी की आवष्यकता है जिसके क्रय एवं आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदायें प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के नाम आमंत्रित की जाती है।

1.	निविदा का नाम	कलाई घड़ी के क्रय संबंध में।
2.	कार्यालय का नाम एवं पता	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय , नेतरहाट पो०– नेतरहाट, जिला –लातेहार, पिन–835218
3.	सामग्रियों का नाम	कलाई घड़ी
4.	निविदा भेजने का पता	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट पो०–नेतरहाट, जिला–लातेहार।
5.	वेबसाईट का नाम एवं निविदा प्रसारित करने की तिथि	WWW.netrahatvidyalaya.com पर दिनांक– 04.02.2017 समय अपरहान 12.30 बजे से उपलब्ध।
6.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	11.02.2017 समय 11:30 बजे अपराह्न तक।
7.	निविदा खुलने की तिथि	14.02.2017 समय 03:30 बजे अपराह्न (टेक्नीकल बीड) एवं 15.02.2017 समय 1.00 बजे अपराह्न फिनानसियल बीड, (केवल वैसे आपूर्तिकर्त्ता जो टेक्नीकल बीड में सफल पाये गये हो)
8.	संबंधित व्यक्तियों की विवरणी	1. विंध्याचल पाण्डेय (प्राचार्य) दूरभाष नं० –06569–277644 / 9431766506 / 7482950447 ईमेल principal.netarhat@gmail.com 2. रौषन कुमार बक्षी कोषपाल फोन नं. – 9771521409 ईमेल– bursarnvs@gmail.com
	नोट :– सभी वॉछित सूचनाऍ एवं वित्तिय बीड का प्रारूप विद्यालय के वेबसाईट WWW.netrahatvidyalaya.com पर उपलब्ध है।	
		(विंध्याचल पाण्डेय) प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट

निविदा शर्त

1. **टेक्नीकल बिड** में लगने वाले दस्तावेज निम्न होगे।
   (A) सार्थ/कंपनी/आपूर्तिकर्त्ता का पूरा नाम एवं पता
   (B) व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन संबंधित प्रमाण पत्र
   (C) JVAT –2005 के निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र
   (D) आयकर प्रमाण पत्र
   (E) बिक्री कर एवं आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र । स्वच्छता प्रमाण पत्र नहीं रहने पर कर निर्धारण का प्रमाण पत्र जो गत वर्ष से संबंधित हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। **कागजात संलग्न नहीं रहने पर निविदा पर विचारनहीं किया जायेगा।**
   (F) अग्रधन की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट के नाम देय होगी।
2. निविदा के लिफाफे पर सार्थ का नाम एवं पता, निविदा संख्या एवं दिनांक, निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं जिन सामग्रियों हेतु निविदा दी गई हो अंकित होना आवश्यक होगा।
3. सार्थ यदि आदेशित सामग्री क्रयादेश में निर्धारित तिथि, समय एवं राशि पर आपूर्ति नहीं करते हैं तो विद्यालय द्वारा एक अनुस्मार दिया जाएगा ।
4. **अग्रधन एवं निविदा शुल्क :–**
   निविदा शुल्क – सार्थ के द्वारा निविदा शुल्क के रूप में रूपया 500/–राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट अथवा नगद प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम देय होगा तथा भारतीय स्टेट बैंक, लोहरदगा में भुगतेय होगा, लेखाशाखा में जमाकर बिल ऑफ क्वॅंाटिटी भंडार से प्राप्त की जा सकती है।
   अग्रधन – अग्रधन के रूप में रूपया 5000.00 का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय समिति के नाम तथा भारतीय स्टेट बैंक, नेतरहाट में भुगतेय जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपूर्ति न करने पर विद्यालय द्वारा निम्न कदम उठाये जा सकते हैं :–
   (i) आदेशित सामग्रियों का क्रय विद्यालय द्वारा खुले बाजार से कर लिया जायेगा एवं मूल्य की मान्यता होगी। सार्थ द्वारा उठायी गई आपत्ति पर कोई विचार नहीं होगा।
   (ii) आदेशित राशि सार्थ के दूसरे विपत्र से काट ली जायेगी।
   (iii) ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
   (iv) संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं उन्हें अगले तीन वर्षों के लिए विद्यालय की निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
   (v) अग्रधन/जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
   (vi) ठेका रद्द करने के उपरान्त निविदा में सफल दूसरे सार्थ को ठेका देने पर विचार किया जायगा।
6. निविदा खुलने वाली तिथि में सार्थों को नमूनों के साथ आना होगा।
7. बिल ऑफ क्वांटिटी में लिखित बान्ड/क्वालिटी के अनुसार ही सामग्रियों का दर एवं आपूर्तियॉ मान्य होगें ।
8. आपूर्ति हेतु विद्यालय द्वारा कुछ भी समय दिया जा सकता है ,जिसे सफल आपूर्तिकर्ता को मान्य होगा ।आदेशित समयावधि में आपूर्ति आवश्यक होगी ।
9. सरकारी प्रतिष्ठानो को अग्रधन की राशि जमा करने की आवश्यकता नही होगी ।
10. सभी सामग्रियों की आपूर्ति का दर एफ.ओ.आर. नेतरहाट आवासीय विद्यालय होगा ।
11. निविदा में उल्लेखित सामान की मात्रा एवं अवधि घटायी बढायी जा सकती है । यह आवश्यक नही की सबसे कम दर वाली निविदा ही स्वीकार की जाय। यदि कम दर वाली निविदा स्वीकार नही की जाती है तो इसका कारण देना आवयश्क नहीं होगा । चयनित सामग्री में अंकित मूल्य पर वार्ता (निगोसियेशन)किया जा सकता है ।
12. सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत नमूने/ब्रान्ड के अनुसार ही ली जाएगी।ब्रान्ड स्पष्ट न करने पर नमूना के बिना रेट पर विचार नही होगा ।
13. निविदा वित्तीय बीड के प्रारूप में जिसमें निविदाताओं को मॉडल एवं ब्राण्ड का उल्लेख होगा में ही स्वीकार किए जायेंगे
14. दाम के साथ संबंधित कम्पनी/मेक का भी उल्लेख रहना आवश्यक है ।
15. विलम्ब से प्राप्त निविदा या अग्रधन के बिना निविदा स्वीकार नही किया जाएगा ।
16. निविदा जमा करने के उपरान्त आंशिक या पूर्णरूप से निविदा वापस लेने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी
17. **देय बिल में आरोपित JVAT की राशि जमा संबंधी प्रमाण पत्र न होने पर विपत्र में दर्शित बिक्रीकर JVAT की राशि में से अग्रिम बिक्रीकर 4% काट ली जायेगी।**
18. आयकर अधिनियम1961 के नियमानुसार विपत्र की राशि में से TDS की राशि की कटौती की जायेगी।
19. दिये गए आदेश से अधिक मात्रा की आपूर्ति किसी भी स्थिति में स्वीकार नही की जाएगी ।
20. प्राचार्य का निर्णय अंतिम रूप में मान्य होगा ।

(विंध्याचल पाण्डेय)
प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट।

सामाग्रियों की सूची

बीड

वित्तीय बीड

क्र०सं०	वस्तु का नाम	ब्राण्ड / मॉडल	प्रति इकाई राशि (सभी करो सहित)
1	कलाई घड़ी		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			